न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 12 / 2024 तारीख रजू :– 28.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

रमेश चन्द ठठेरा पुत्र श्री रामदास ठठेरा मैसर्स रितेश जनरल स्टोर छत्री बाजार शहर सवाई माधोपुर निवासी – बिजली ऑफिस के पास राजबाग कॉलोनी, शहर सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52

निर्णय दिनांक 05 / 07 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 11-03-2023 को 06:00 पी.एम पर उक्त फर्म रितेश जनरल स्टोर, छत्री बाजार, शहर सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचा संस्थान पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आपको विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं अपना नाम रमेश चन्द ठठेरा पुत्र श्री रामदास ठठेरा होना बताया एवं श्री रमेश चन्द ठठेरा को अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (मधुसूदन) 1–1 लीटर की पैकिंग में काउन्टर पर रखे थे। उक्त घी (मधूसूदन) में गुणवत्ता / मिलावट होने का अनदेशा होने पर श्री रितेश चन्द ठठेरा से घी (मधूसूदन) वास्ते नमुना जॉच 4 पैकेट घी (मधूसूदन) मूल कम्पनी पेकैट खरीदकर उनकी कीमत 2200 / – रुपये विक्रेता श्री रमेश चन्द ठठेरा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पैकेट घी (मधूसूदन) मूल कम्पनी पैकट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H–2692 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। एवं चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरखुदा पेपर स्लिप नं. H–2692 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुत्तार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म न0 5 ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री रमेश चन्द ठठेरा ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की ।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/479–82 दिनांक 06-04-2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/685/एक्ट/2023/762 दिनांक 20-03-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ धी (मधूसूदन) मिसन्ब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान हेतु मैसर्स रितेश जनरल स्टोर को अग्रीम माल खरीद बिल हेतु पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में श्री रमेश चन्द ठठेरा ने बिल नहीं होना जाहिर किया ।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/62 दिनांक 6/02/24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस में श्री रमेश चन्द ठठेरा पुत्र श्री रामदास ठठेरा मैसर्स रितेश जनरल स्टोर छत्री बाजार शहर सवाई माधोपुर निवासी– बिजली ऑफिस के पास राजबाग कॉलोनी, शहर सवाई माधोपुर द्वारा मिसब्राण्ड घी (मधूसूदन) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

निर्णयन अधिकारी
ए- अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री धर्मचन्द जैन एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने मिसब्राण्ड प्रकृति की **खाद्य वस्तु** घी (मधूसूदन) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जुर्म स्वीकार करते हुए उनके पक्षकार द्वारा भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु कथन किया गया। पुनःश्च वकील प्रार्थी द्वारा कथन करते हुए प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/685/एक्ट/2023/762 दिनांक 20-03-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (मधूसूदन) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (मधूसूदन)) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस **हजार रूपये**) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक–एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर